पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/ लोक सूचना/2022/094/ दिनांक : 14/11/2022

सेवा में,
श्री रामावतार पटेल
गाँव – मोहरबा, पोस्ट – कर्रा,
तहसील – न्यू रामनगर, जिला – सतना,
485 001, मध्यप्रदेश.
मोबाइल नं.- 9893759082

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र सं.- PGCIL/WRTS-II/2022/094, पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय में सतना कार्यालय द्वारा दिनांक 19/10/2022 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हें । आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है ।

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लाट न-.54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

(आर. के. गुप्ता)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.- II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.- II

This has reference to the RTI no. PGCIL/WRTS-II/2022/094 received on dated 19/10/2022 from Satna office from Shri Ramavtar Patel regarding Compensation details pertaining to Survey No. 40/3 & 41/3 at Vil.-Moharba, Teh.-Ramnagar, Satna – pointwise concise reply is as follows;

आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
1. आपके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 765 K.V. लाइन संचरण हेतु आवेदक के खेत मौज़ा मोहरबा, तहसील रामनगर, जिला सतना के खसरा क्रमांक-40/3 रकबा 1.153 हे. तथा खसरा क्रमांक 41/3 रकबा 0.344 हे. से लाइन ग्राम सिकरवार से सतना तक निकाली गयी थी। आपके फील्डबूक R. S. No.-40, 41, 42 के अनुसार सागौत के 200 पेड़ तथा आंवला के 100 पेड़ों की क्षति हुई थी। आपके नोटिस क्रमांक 3217 दिनांक 2.2.2011 को आवेदक को उक्त क्षति की पूर्ति हेतु जारी किया गया था। उक्त क्षतिपूर्ति हेतु बनाए गए कुल मुआवजा राशि का विवरण तथा उक्त मुआवजा राशि आवेदक को भुगतान करने संबंधी बिल, चेक तथा वाउचर की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि प्रदान करें।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जारी कि गयी नोटिस सिर्फ एक अग्रिम सूचना है। चूंकि पावरग्रिड के संबंधित विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक को कोई क्षति पूर्ति मुआवजा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः नुकसान नहीं होने की स्थिति में यह नोटिस स्वयं निरस्त मानी जाती है। यदि आपके पास उस समय जारी किया गया कोई क्षति पूर्ति मुआवजा प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो कृपया इस कार्यालय को भेजें, ताकि आपके द्वारा चाहि गयी जानकारी प्रदान की जा सके।
2. उक्त लाइन के कार्य पूर्ण होने का दिनांक, माह तथा वर्ष की जानकारी प्रदान करें ।	765 के.वी. सासन – सतना # 1 ट्रांसमिशन लाइन दिनांक 01/01/2013 से सुचारु रूप से कार्यरत है । 765 के.वी. सासन – सतना # 2 ट्रांसमिशन लाइन दिनांक 01/05/2013 से सुचारु रूप से कार्यरत है ।

(आर. के. गुप्ता)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

क्रमांक 13-84
दिनांक 18-10-2022

प्रपत्र - एक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचनां का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारुप

1. आवेदक का नाम : रामावतार पटेल
2. पूरा पता / ई-मेल / फेक्स जिस पर जानकारी प्रेशित की जाना है : ग्राम- मोहरवा पोस्ट करही तह० न्यू रामनगर जिला- सतना (म०प्र०)
3. दूरभाष क्रमांक : 9893759082
4. आवेदन देने का दिनांक : 28/09/2022
5. कार्यालय का नाम : श्रीमान लोक सूचना अधिकारी पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ग्राम [illegible] पोस्ट पितपुरा जिला सतना (म.प्र.)
6. चाही गई जानकारी का विवरण : आपके पॉवर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 765 K.V लाईन संचरण हेतु आवेदक के खेत मौजा मोहरवा तहसील रामनगर जिला सतना के खसरा क्रमांक 40/3 रकबा 1.153 हे. तथा खसरा क्रमांक 41/3 रकबा 0.344 हे० से लाईन ग्राम सिकरवार से सतना तक निकाली गई थी आपके [illegible] के अनुसार आवेदक के 200 पेड़ तथा आँवला के 100 पेड़ की क्षति हुई थी. आपके नोटिस क्रमांक 3217 दिनांक 2.2.2011 को आवेदक को जारी किया उक्त क्षति की पूर्ति हेतु जारी किया गया था उक्त क्षतिपूर्ति हेतु बनाए गए कुल मुआवजा राशि का विवरण तथा उक्त मुआवजा राशि आवेदक को भुगतान करने संबंधी बिल, चेक तथा [illegible] की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि तथा उक्त लाईन के कार्य पूर्ण होने का दिनांक माह तथा वर्ष की जानकारी
7. क्या चाहते हैं नकल / निरीक्षण / रिकार्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना : प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस पी........ रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (बी.पी.एल.सूची के सदस्य को देय नहीं) : संलग्न है भा०पो०आ० क्रमांक 59F 684123
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं : नहीं
   हाँ / नहीं
   यदि हां तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
रामावतार पटेल
आवेदनकर्ता
28.9.22

टीप यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का नाम :..
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक :..
3. संबंधित शाखा / अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध हांगी :..
   (लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिक्रत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

दिनांक ....

दह टका दश टाका ৫শ ৰুপিয়া ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ദശം രൂപ പത്തു രൂപ दहा रुपये ୦ଶ ଟଙ୍କା दस रुपए दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, पोवा ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

डाक पाल POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

[illegible]

59F 687123

பத்து ரூபாய் పది రూపాయలు دس روپے